बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–72/2016 4835 /कृ0, पटना, दिनांक–17/11/,2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+) से परामर्शित।

विषय : **प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजनान्तर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली कार्यमदों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश 446.860 लाख रूपये(चार करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार रूपये) तथा राज्यांश– 297.906 लाख रूपये (दो करोड़ संतानवें लाख नब्बे हजार छः सौ रूपये) कुल 744.766 लाख रूपये (सात करोड़ चौवालीस लाख छियत्तर हजार छः सौ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजनान्तर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली कार्यमदों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश 446.860 लाख रूपये(चार करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार रूपये) तथा राज्यांश– 297.906 लाख रूपये (दो करोड़ संतानवें लाख नब्बे हजार छः सौ रूपये) कुल 744.766 लाख रूपये (सात करोड़ चौवालीस लाख छियत्तर हजार छः सौ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक– 38–1/2015–AE/Extn. के द्वारा कुल 446.86 लाख रूपये केन्द्रांश मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विमुक्त किया गया है परन्तु वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना की स्वीकृति नहीं हो पाने के कारण व्यय नहीं हो सका। पत्रांक– 19–08/2015–RFS-III दिनांक 29.04.2016 तथा पत्रांक 38–01/2016–AE दिनांक 05.05.2016 के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में विमुक्त की गई राशि का इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत प्रशिक्षण/परिभ्रमण आदि के लिए यह योजना स्वीकृत की गयी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सिंचाई सुविधा विकास का मद भूमि संरक्षण तथा उद्यान संभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिलास्तरीय आत्मा द्वारा भूमि संरक्षण, उद्यान संभाग के साथ समन्वय किया जायेगा। उक्त संभागों द्वारा चिन्हित किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण एवं इस योजना के उद्देश्य पूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त गाईडलाईन के आलोक में कार्यक्रम चलाये जायेंगे। योजना प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

4. बामेती/आत्मा कृषि विभाग के अधीन एक स्वायत संस्थान हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन निबंधित है। आत्मा/बामेती सोसाइटी के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा निर्धारित शर्त की सीमा में योजना का

E:\ABHINAV\2016-17\NMAET 2016-17\Sanlekh Emp. Com. IWMP Per Drop More Crop.docx

कार्यान्वयन कराया जाएगा। भारत सरकार से प्राप्त गाईडलाईन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सोसाइटी द्वारा किया जाएगा।

5. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश मद विमुक्त एवं नवीकृत की गई राशि के आलोक में कुल रू0 744.766 लाख रूपये (सात करोड चौवालीस लाख छिहतर हजार छः सौ मात्र) {केन्द्रांश मद में 446.860 लाख रू० (चार करोड छियालीस लाख छियासी हजार) एवं राज्यांश मद में 297.906 लाख रू० (दो करोड़ संतानवे लाख नब्बे हजार छः सौ मात्र)} की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार से की जाएगी।

6. स्वीकृत राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म–42 पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन, पटना अवस्थित कोषागार से निकासी कर बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के पी0एल0 खाता 278 में अंतरित किया जाएगा।

7. जिलावार स्वीकृत राशि का वितरण राज्य नोडल सेल (आत्मा) की सहमति से किया जाएगा।

8. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर वित्तीय सीमा के अंदर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

9. योजना अंतर्गत बजट शीर्ष उपबंधित राशि, स्वीकृति राशि निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उप शीर्ष– 0218 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, विपत्र कोड–P2401001090218, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	6053.060	372.68
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00,लधु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0239 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, विपत्र कोड–P2401007890239, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	1561.970	70.16
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0261 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड–P2401007960261, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	157.330	4.02
योग	**7772.360**	**446.860**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0318 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड–P2401001090318, विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	3941.540	248.453
मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लधु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0339 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड–P2401007890339, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	1010.650	46.773
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म,उपमुख्य शीर्ष–00,लधु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0361 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड– P2401007960361, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	101.060	2.680
योग	**5053.250**	**297.906**
सकल योग	**12825.610**	**744.766**

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–72/2016 के पृ0सं0– 60/प0 पर दिनांक : 24.10.2016 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–72/2016 के पृ0सं0–18/टि0 पर दिनांक 14.11.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) 16/11/16

(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–72/2016– 4835 /कृ0, पटना दिनांक– 17/11 2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 16/11/16

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–72/2016– 4835 /कृ0, पटना दिनांक– 17/11 2016

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (प्रसार), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 16/11/16

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–72/2016– 4835 /कृ0, पटना दिनांक– 17/11 2016

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 16/11/16

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–72/2016– 4835 /कृ0, पटना दिनांक– 17/11 2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/निदेशक, पी0पी0एम0/निदेशक, बामेति, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ अपर निदेशक (शष्य)–सह प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा)/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ह0) 16/11/16

सरकार के विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\NMAET 2016-17\Sanlekh Emp. Com. IWMP Per Drop More Crop.docx